निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 76/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. हंसराज पुत्र बाबूलाल
2. अशोक कुमार पुत्र पृथ्वीराज

जाति मीणा, निवासी ग्राम हुरेला, तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।
2. कमली देवी पुत्री महादेव

निवासी घटवाडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।

3. बाबूलाल पुत्र स्व॰ रामसहाय
4. पृथ्वीराज पुत्र स्व॰ रामसहाय
5. भवानी शंकर पुत्र बाबूलाल
6. सुरेश चन्द पुत्र पृथ्वीराज

जाति मीणा, निवासी हुरेला, तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 18/2024 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 15/2024 ब उनवानी हंसराज बनाम कमली व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. प्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित ।
2. श्री राजेश कुमार पारीक अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, की ओर से ।

निर्णय दिनांक 25.11.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 18/2024 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 15/2024 ब उनवानी हंसराज बनाम कमली व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पारीक ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई ।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 से 6 धनबल व बाहुबल में अधिक है तथा राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है जो अपनी राजनैतिक पहुंच का फायदा उठाते हुये अप्रार्थी संख्या 1 पर दबाव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय से अपने अनुसार उक्त प्रकरण में मनमाफिक फैसला करवाना चाह रहे है। तथा अधीनस्थ न्यायालय का भी उक्त पत्रावली के प्रति रूख सही नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को पूर्ण अंदेशा है कि अधीनस्थ न्यायालय अप्रार्थी संख्या 1 अन्य अप्रार्थीगण के प्रभाव में रहते हुये उक्त पत्रावली में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं कर सकते है। प्रार्थीगण दिनांक 06.05.2024 को उपस्थित हुये तो अप्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 के चैम्बर में बैठे हुये दिखे, तथा आपस में बाते कर रहे थे। अप्रार्थीगण ने चैम्बर से बाहर आकर प्रार्थीगण को कहा कि हमारी बातचीत हो चुकी है, अब उक्त प्रकरण में हमारे मनमाफिक फैसला होगा। इसलिए प्रार्थीगण को पूरा अन्देशा है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के प्रभाव में है। इसलिये प्रार्थी को न्याय की आशा नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में अन्य राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी जानबूझ कर प्रकरण के निरतारण मे विलम्ब करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय में भी लम्बी तारीखें लेने का प्रयास करता है और मिथ्या कथनों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)